डा० राम मनोहर लोहिया : अगर सब लोग तैयार हों, तब न?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : एक बात मेरी सुन लें....

अध्यक्ष महोदय : सुन ली आपकी बात। अब आप बैठ जायें।

12.10 hrs.

STATISTICS OF CONSUMER EXPENDITURE

Mr. Speaker: The Minister of Labour and Employment.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जो बयान वह देने ज रहे हैं, उसी के सम्बन्ध में मैं एक जानकारी चाहता हूं। यह ब्यान स्टेटिसटिक्स आफ कंज्यमर एक्सपेंडीचर के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय तीन आने प्रति व्यक्ति और पद्रह आने प्रति व्यक्ति जो आमदनी है, उस पर भी इस में कुछ प्रकाश डालेंगे? इससे तो हमें ऐसा कुछ पता चलता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ब्यान की निसबत तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या होगा। लेकिन माननीय सदस्य को पता होगा कि डा० लोहिया ने यह सवाल उठाया था और मैंने उन से कहा था कि वह लिख कर मुझे भेज दें। अगर किसी वक्त एक मैम्बर, चाहे व मिनिस्टर हो या कोई और हो, कोई बयान करता है जो दूसरे मैम्बर खयाल करते हैं कि य गलत है, दुरुस्त नहीं है तब वह मेरी नोटिस में ले आता है कि यह बयान गलत दिया गया। उसे, जिन दूसरे सा ब ने बयान दिया था, मैं उन के पास भेजता हूं। दोनों बयान ले लेता हूं। दोनों बयान ले कर अगर मैं मुनासिब समझता हूं तो अवसर देता हूं कि दोनों अपने अपने बयान यहां रखें। उस वक्त मेम्बर साहबान जज कर सकते हैं, अगर दोनों में इत्तफाक न हो सके। इसलिये मैंने उस दिन डा० लोहिया से विनय की थी कि वे मुझे लिख कर भेज दें। लेकिन उन्होंने अभी तक यह उचित नहीं समझा कि वे मुझे भेजें। मैं ३ आ० और १५ आ० का जिक्र कर रहा हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : मैंने आपको एक बहुत लम्बा खत लिखा है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है।

डा० राम मनोहर लोहिया : उसी बात को ले कर है।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन जो आप ने बात की थी कि वह बयान गलत है, उस बात पर मैंने उस वक्त कहा था कि आप मुझ लिख कर भेज दें कि प्राइम मिनिस्टर का यह बयान ठीक नहीं है। लेकिन उस के बाद आप ने मेरे पास कोई चीज नहीं भेजी।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने आप से ढाई घंटे की बहस मांगी है। दफ्तर में कोई गड़बड़ है।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है।

डा० राम मनोहर लोहिया : उसी सवाल को ले कर, आमदनी के बटवारे के सवाल को को ले कर....

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी बात सुन लें। ढाई घंटे की बहस मांगने की जो नोटिस आई है उस पर अलाहदा गौर होगा और उस पर जो मुनासिब होगा वह किया जायेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसी प्रश्न को ले कर वह है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि उसी प्रश्न को ले कर है। जब उस की बारी आयेगी तब देखा जायेगा। इस वक्त ढाई घंटे का सवाल नहीं था। इस वक्त सवाल था कि आप ने कहा कि एक गलत बयान दिया गया। उस के दुरुस्ती के लिये मैंने कहा था कि अगर आप लिखना चाहते हैं कि बयान गलत है तो आप लिख दें। बहस तो होती रहेगी, बहस को अलहदा देखेंगे। प्लैनिंग मिनिस्टर।

श्री बागड़ी (हिसार) : जानकारी के नाते से....

अध्यक्ष महोदय : अब आप चलने दीजिय काम को। प्लानिंग मिनिस्टर।

The Minister of Planning ind Labour and Employment (Shri Nanda): In the course of the debate on the 'No-confidence Motion', Dr. Lohia stated that 60 per cent of the households in the country subsist on Rs. 25 a month, in other words, 27 crores of people are living on only 3 annas a day.

The only data available on the subject for the country as a whole is the information collected by the National Sample Survey on consumer expenditure in rural and urban areas. The 17th Round of the N.S.S. relating to the period September 1961 to July 1962, provides the latest available data on the subject. These data indicate that the poorest 10 per cent of the population have a monthly *per capita* average expenditure of Rs. 8 in rural areas and Rs. 10 in urban areas or a daily *per capita* expenditure of 4.3 annas in rural areas and 5.3 annas in urban areas. The figure of 3 annas per head per day given by Dr. Lohia is not even true of 5 per cent of the population or 2.2 crores of people, as against 27 crores to which Dr. Lohia referred. The 60 per cent of the population to which Dr. Lohia has referred have an estimated average *per capita* expenditure of 7.5 annas per day. It may be further pointed out that within this 60 per cent group itself, there is a wide range of variation between the consumption of the first 10 per cent and that of the sixth 10 per cent. The average expenditure of the sixth 10 per cent in the rural areas is 10 annas and in urban areas 14 annas per head per day. For the population as a whole, urban and ruarl, including all expenditure categories, the average consumer expenditure for 1961-62 has been estimated at 12 annas per head per day.

Details of expenditure data by decile groups, i.e., for the population arranged it 10 equal groups of 10 per cent each in ascending order of *per capita* expenditure, in both urban and rural areas, is contained in the statement that is now placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1549/63].

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Let there be a discussion.

अध्यक्ष महोदय : डा० राम मनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि इस के ऊपर डिस्कशन हो। अभी उन्होंने इस का जिक्र किया। अब और भी उस का मतालबा हो रहा है। मैं देखूंगा कि कोई मौका....

Shri S. M. Banerjee: I have supported it; many names are there.

Mr. Speaker: Simultaneously when I am speaking, hon. Member wants also to speak. I am agreeing with him that an opportunity should be provided and we shall have a discussion.

Shri Priya Gupta (Katihar): On a point of clarification, Sir. (*Interruption*).

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): May I request you to arrange for the circulation of the statement?

Mr. Speaker: All right.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक अर्ज आप से करूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो गलत बयानी पहले की थी उससे दस

गुनी ज्यादा गलत बयानी आज करते हैं, और मेरे बारे में खयाल आ गया है . . . .

Mr. Speaker: Order, order.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चारों तरफ लोगों में एक खयाल फैलाया जा रहा है जैसे मैं कहीं कोई गड़बड़ करना चा ता हूं। धमकियों के खत भी मेरे पास आये हैं। तो क्या कहीं कोई साफ बयान आ सकता है किसी वक्त। मंत्री महोदय को हमेशा मौका मिल जाता है गलत बयानी करने का।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये अब आप। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर कोई बयान गलत दिया गया तो उसका कायदा यह है कि मेम्बर साहब मुझे लिख दें कि यह बयान इन इन चीजों में गलत है। असलियत यह है। मैं उन का जवाब भी ले लूंगा। अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो दोनों को स्टेटमेंट करने की इजाजत दे दूंगा। जहां तक डिस्कशन का सवाल है, उस के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि उस का अवसर भी दूंगा। उस पर डिस्कशन होगा तो सारी चीज साफ हो जायेगी। आप इस से ज्यादा और क्या मांग सकते हैं?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने अपने खत में आप को न्यूनतम आमदनी और औसत आमदनी का फर्क बतलाया है जिसे प्रधान मंत्री बिल्कुल नहीं जानते हैं, सोलह बरस से नहीं जानते हैं।

Mr. Speaker: Order, order, now.

Shri Priya Gupta: I seek a clarification; I will take just a minute. The Minister of Planning and Labour and Employment has mentioned the satistics of per capita consumer expenditure whereas point at issue was per capita income of a particular group. A man may earn eight annas but he may purchase things worth 12 annas by borrowing another four annas. So, the answer is quite contradictory and has no relevance to the question raised in the House.

Mr. Speaker: That would be seen in the discussion.

Shri Ranga (Chittoor): May I seek a bit of information? May I know on what basis these percentages have been worked out—the lowest percentage and the next 10 per cent and then the next 15 per cent and so on like that? Who are the authorities that have conducted those surveys and in what areas or parts of India? We would like to have that additional information also.

Mr. Speaker: That is contained in the statement.

Shri Nanda: It is contained in the statement laid on the Table.

डा० राम मनोहर लोहिया : इस पर एक सवाल कर सकता हूं, अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब इस वक्त नहीं। आपको डिस्कशन के वक्त मौका होगा।

श्री प्रिय गुप्त : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। मैंने आप को मौका दिया।

श्री प्रिय गुप्त : आप सुन लीजिये। इसी सिलसिले में है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बठ जायें, काम में रुकावट न डालें।

श्री प्रिय गुप्त : मैं आप का हुक्म जरूर मानूंगा, लेकिन एक सवाल है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें हां, अब आप कहें क्या कहना चाहते ह

श्री प्रिय गुप्त : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप ने मौका दिया है प्लैनिंग मिनिस्टर

[श्री प्रिय गुप्ता]

के बयान पर डिस्कशन के लिये तो वे भिन्न भिन्न इनकम ग्रुप के पर कैपिटा इनकम तथा कर्ज के आंकड़े भी उस के सामने रखें। उन्होंने सिर्फ एक्सपेंडिचर के आंकड़े बतलायें हैं। ताकि सही जांच और बहस हो सके।

Shri Tyagi (Dehra Dun): We will do it. (*Interruption*).

Shri Priya Gupta: I am a junior Member and he is a senior Member. Why should he interrupt me?

Mr. Speaker: Order, order.

श्री बागड़ी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अध्यक्ष महोदय, आप का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि डाक्टर साहब ने अपने बयान के दौरान एक बहुत जिम्मेदारी की बात कही है कि उन के पास कितने ही धमकी के खतूत आते हैं, और इस सदन में भी यह बात आ गई। इसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब सदन में यह बात आ गई है तो उस के ऊपर कुछ न कुछ तो आप को कहना ही चाहिये। इसके बाद खास किस्म की बात....

अध्यक्ष महोदय: अगर वह सब आप मेरे पास भेज दें, तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह करूंगा। कहने की जरूरत होगी तो कहूंगा और करने की भी जरूरत हुई तो वह भी करूंगा।

12.10 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 5 BILL*, 1963

The Minister of Railways (Sardar Swaran Singh): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of Railways.

Mr. Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of the Railways."

The motion was adopted.

Sardar Swaran Singh: I introduce† the Bill.

12.20 hrs.

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISES (AMENDMENT) BILL— *contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri B. R. Bhagat on the 23rd August, 1963, namely:—

> "That the Bill to amend the Customs Act, 1962 and further to amend the Central Excises and Salt Act, 1944 be taken into consideration."

Out of the one hour allotted for this Bill, 5 minutes have been taken and 55 miutes are still there. Shri Kashi Ram Gupta.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि यह केन्द्र की कर नीति के एकीकरण की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। किन्तु मुझे इस बात का सन्देह है कि इस बिल में जो शब्द "गवर्नमेंट" रखा गया है उससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि नहीं कि इसमें

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Sections 2, dated 26-8-63.

†Introduced with the recommendation of the President.